कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक 2260 / राजस्व शाखा / 2020 बिलासपुर, दिनांक :– 1 / 09 / 2020
-10

प्रति,

11753
19/10/2020

समस्त कलेक्टर,
जिला– बिलासपुर / रायगढ़ / जांजगीर चांपा / कोरबा / मुंगेली / गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

का.का. कलेक्टर कोरबा
कलेक्टर
16 OCT 2020
अधीक्षक
शाखा ... भू-अर्जन

विषय :– छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2017 के संबंध में।

संदर्भ :– कलेक्टर रायगढ़ (छत्तीसगढ़) का पत्र क्रमांक 2942 / भू–अर्जन / 2020, रायगढ़ दिनांक 27.03.2020 ।

––00––

उक्त विषयांतर्गत लेख है कि, छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2017 में ''रेखीय परियोजना में भू–अर्जन से प्रभावित प्रत्येक खातेदार को भूमि के मुआवजा के अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान के रुप में इतनी राशि प्रदाय की जावे जो कि भूमि के मुआवजा का 50 प्रतिशत के बराबर, जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकेगी'' का उल्लेख किया गया है ।

2– प्रायः यह देखा गया है कि, विभिन्न जिलों से जिन रेखीय परियोजना में पुनर्वास आयुक्त के रुप में कमिश्नर द्वारा पुनर्वास योजना अनुमोदित नहीं किया गया है, उन परियोजना अवार्डों में भी 5 लाख या 50 प्रतिशत राशि के बराबर स्वीकृति हेतु नस्ती अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में भेजी जा रही है।

3– संदर्भित राजपत्र के अधिसूचना में प्रकाशित पुनर्वास राशि जो अवार्ड में सन्निहित है, जिसके अनुसार अवार्ड के साथ ही पारित किया जाए ।

4– अतः उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र एवं शासन के समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के निहित प्रावधानानुसार पुनर्वास योजनाओं के प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– यथा संलग्नानुसार।
(मूल आवक)

1/10/20

आयुक्त
बिलासपुर संभाग बिलासपुर